

कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,  
इन्द्रावती भवन, ब्लॉक 4, तृतीय तल, नया रायपुर, छत्तीसगढ़  
Tel: - 0771-2221371, 2221656, e-mail : cg\_encphedcg@nic.in  
// "विज्ञापन" //

क्रमांक 51 / त.शा. / F-116(APP-S) / प्र.अ. / लोस्वायावि / 2017


नया रायपुर, दिनांक 17.04.2017

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में शिक्षु प्रशिक्षण मण्डल, मुम्बई के निर्देशानुसार अप्रेंटिस एक्ट 1961 (संशोधित 1973 एवं 1986) अंतर्गत षष्ठम बैच हेतु कुल 55 प्रशिक्षुओं की नीचे दर्शित ट्रेड में एक वर्ष की अवधि के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से संलग्न प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित है।  
अंतिम तिथि 10.04.2017

क	ट्रेड का नाम	प्रशिक्षुओं की संख्या			शैक्षणिक योग्यता	छात्रवृत्ति प्रतिमाह	प्रशिक्षण कार्य क्षेत्र
		दिनांक 15.05.2017 की स्थिति में रिक्तियां	जुलाई 2017 से फरवरी 2018 मध्य उदभूत होने वाली रिक्तियां।	कुल			
1.	सिविल इंजीनियरिंग	14 (डिग्री-5, डिप्लोमा-9)	06 (डिग्री-5, डिप्लोमा-1)	20	छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमा	डिग्री-4984.00 डिप्लोमा-3542.00	निकटतम जिला मुख्यालय
2.	मैकेनिकल इंजीनियरिंग	01 (डिग्री-0, डिप्लोमा-1)	04 (डिग्री-3, डिप्लोमा-1)	05	छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमा	---	---
3.	कम्प्यूटर इंजीनियरिंग	10 (डिग्री-5, डिप्लोमा-5)	00 (डिग्री-0, डिप्लोमा-0)	10	छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमा	---	---
4.	आई.टी. इंजीनियरिंग	06 (डिग्री-3, डिप्लोमा-3)	02 (डिग्री-1, डिप्लोमा-1)	08	छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आई.टी. इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमा	---	---
5.	मार्डन आफिस मैनेजमेंट	04 (डिप्लोमा-4)	03 (डिप्लोमा-3)	07	छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से मार्डन आफिस मैनेजमेंट में डिप्लोमा	---	प्रमुख अभियंता नया रायपुर एवं निकटतम मुख्य अभियंता कार्या.
6.	व्यावसायिक पाठ्यक्रम (स्टेनो)	02	03	05	छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से 10+2 व्यवसायिक पाठ्यक्रम (कक्षा 10 के बाद दो वर्षीय आशुलिपिक कोर्स)	2758.00	---
	कुल-	37	18	55			

**आवश्यक जानकारियां :-**

1. इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 10.04.2017 तक निर्धारित प्रपत्र में चाही गई जानकारी के साथ कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा डाक द्वारा उपरोक्त कार्यालयीन पते पर आवेदन प्रेषित कर सकते हैं। उक्त तिथि के बाद प्राप्त आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे।
2. निर्धारित शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण करने के दिनांक से प्रशिक्षण ज्वाइन करने की तिथि के बीच की अवधि 1 वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम है तो निर्धारित प्रपत्र में नोटरी के समक्ष गेप प्रमाण पत्र सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना होगा।
3. निर्धारित शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण करने के दिनांक से प्रशिक्षण ज्वाइन करने की तिथि के बीच की अवधि 03 वर्ष से अधिक अंतराल होने की स्थिति में आवेदन पत्र मान्य नहीं किया जावेगा।
4. शिक्षु प्रशिक्षण मण्डल मुम्बई के पत्र क्रमांक 13294 दिनांक 08.10.2001 अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अनुसार प्रशिक्षण उपरान्त विभाग में नियुक्ति हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा।
5. छात्रवृत्ति के अतिरिक्त कोई अन्य लाभ प्रशिक्षुओं को देय नहीं होगा।
6. प्रशिक्षण के दौरान आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश, आदि अप्रेंटिस एक्ट के अंतर्गत देय होगी।
7. सफलता पूर्वक लगातार 01 वर्ष तक प्रशिक्षण पूर्ण करने पर अप्रेंटिसशिप के क्षेत्रीय निर्देशक मुम्बई द्वारा प्रमाण पत्र प्रदाय किया जायेगा। जो एक वर्ष के अनुभव के रूप में मान्य होगा।
8. वह आवेदक जो पूर्व में अप्रेंटिस एक्ट 1961 का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं वे इस प्रशिक्षण में पुनः शामिल नहीं किए जावेंगे।
9. पर्याप्त संख्या में डिग्री या डिप्लोमा के आवेदक नहीं मिलने पर संख्या परस्पर समायोजित की जाएगी।
10. चयनित अभ्यर्थियों को अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण पूर्ण करने अनुबंध करना होगा। मान्य योग्य कारणों के बिना प्रशिक्षण छोड़ने पर प्रदत्त छात्रवृत्ति वसूली योग्य रहेगी। एवं तीन माह की छात्रवृत्ति के बराबर राशि जमा करनी होगी।
11. Apprentice पर संक्षिप्त विवरण के लिए विभाग के विभागीय Website [www.cgphed.gov.in](http://www.cgphed.gov.in) का अवलोकन करें। विस्तृत विवरण भारत सरकार की Website [www.apprentice-engineer.com](http://www.apprentice-engineer.com) पर देखी जा सकती है।
12. प्रत्येक ट्रेड हेतु अन्तिम सेमेस्टर के प्रतिशत के आधार पर मेरिट सूची (सामान्य, अजा, अजजा, अलग-अलग) बनाई जायेगी। जिनके आधार पर चयन किया जावेगा। जुलाई 2017 से फरवरी 2018 के मध्य प्रशिक्षण पूर्ण होने के फलस्वरूप उदभूत होने वाली रिक्तियों की पूर्ति प्रतीक्षा सूची से की जावेगी।

  
प्रमुख अभियंता,  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
छत्तीसगढ़, नया रायपुर

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में अप्रेंटिस एक्ट 1961 (संशोधित 1973 एवं 1986) अंतर्गत प्रशिक्षण वर्ष  
2017-18 हेतु आवेदन का प्रारूप

प्रति,

प्रमुख अभियंता,  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,  
इन्द्रावती भवन, ब्लॉक 4, तृतीय तल,  
नया रायपुर, छत्तीसगढ़

स्वप्रमाणित नवीनतम  
फोटो

1. आवेदित ट्रेड का नाम : .....
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) : .....
3. आवेदक का पूरा नाम :  
(अंग्रेजी ब्लॉक लेटर में) .....
4. पिता/पति का नाम : .....
5. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता :  
.....  
.....  
.....
6. दूरभाष/मोंबाईल नं/ई-मेल :  
स्थायी पता :  
.....  
.....  
.....
7. गृह जिला : .....
8. राष्ट्रीयता : .....
9. जन्मतिथि (अ) अंको में :  
(ब) शब्दों में : .....
10. आयु (01.01.2017 की स्थिति में) : .....
11. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थायी  
निवासी है ?(प्रमाण पत्र संलग्न करें) : .....
12. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित  
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य है  
तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें : .....
13. शैक्षणिक अर्हता :-  
उत्तीर्ण करने का वर्ष-..... डिग्री/डिप्लोमा..... ब्रांच.....  
.विश्वविद्यालय/बोर्ड..... अंतिम सेमेस्टर का प्रतिशत.....

स्थान : .....

दिनांक : .....

संलग्न करें-

1. अंतिम सेमेस्टर की प्रमाणित अंकसूची। (विश्वविद्यालय/तकनीकी बोर्ड द्वारा जारी होना चाहिए, इंटरनेट प्रति मान्य नहीं होगी)
2. विश्वविद्यालय/तकनीकी बोर्ड द्वारा जारी डिग्री या डिप्लोमा की प्रमाणित छायाप्रति।
3. आयु प्रमाण हेतु 10वीं/12वीं अंकसूची की प्रमाणित छायाप्रति।

आवेदक का हस्ताक्षर